राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 441/2025

रवि कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.02.2025
आदेश की दिनांक : 12.02.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री वी एस भावला, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसवाड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान मे नर्सिंग अधिकारी के पद पर जिला अस्पताल, धौलपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का नाम गलत दर्शाते हुए स्थानान्तरण जिला अस्पताल, धौलपुर से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में करीब 625 किमी दूर किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की पत्नी गम्भीर कर्क रोग से पीड़ित है, जिसका ईलाज जयपुर में निरन्तर चल रहा है (अनुलग्नक–2), जिसकी देखभाल एवं उपचार की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। अपीलार्थी का आगे कथन है कि अपीलार्थी धौलपुर अस्पताल में ब्लड बैंक के पंजीकरण में पदस्थापित है तथा ब्लड बैंक संचालित करता है यदि आलोच्य आदेश से अपीलार्थी स्थानांतरण स्थान पर कार्यग्रहण करता है, तो अन्य कार्मिक के दस्तावेज बदलने की प्रक्रिया में लगभग 5–6 माह लग जाते है। अतः जनहित में

ब्लड बैंक के सतत् संचालन हेतु अपीलार्थी का धौलपुर अस्पताल में रहना आवश्यक है। ऐसे में अपीलार्थी को दूरस्थ स्थानांतरण किए जाने से विभिन्न समस्याओं से सामना करना पडेगा। उनका आगे तर्क है कि अपीलार्थी को बिना किसी प्रशासनिक आवश्यकता से स्थानांतरित किया गया है, जो गलत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश को अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित करते हुए प्रत्यर्थीगण को नोटिसेज जारी किये जावें।

हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी नर्सिंग अधिकारी के पद पर जिला अस्पताल, धौलपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का नाम गलत दर्शाते हुए स्थानान्तरण जिला अस्पताल, धौलपुर से मथुरादास माथुर अस्पताल, जोधपुर में करीब 625 किमी दूर किया गया है जहां तक अपीलार्थी की पत्नी गम्भीर कर्क रोग से पीडित होने का प्रश्न है हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते है कि अपीलार्थी अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

3. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
4. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य